

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

24 / 2020
26-2-2020

रमेश पुत्र बदरी गुर्जर निवासी ग्राम रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 11-12-2019

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 25-11- 2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 11-12-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है०, वाके ग्राम रोहित तह० उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को **खिलाफ** कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उक्त भूमि पर वर्षों से मकानात बने हुए हैं, जिसमें अपीलान्ट मय परिवार निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट के पास उक्त मकानात के अलावा अन्य कोई मकान व स्थान नहीं है। अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई साक्ष्य नहीं है, पटवारी के बयानों से पूर्व बेदखली का निर्णय या प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं हुआ है अपीलान्धीन निर्णय को देखने मात्र से स्पष्ट है कि पूर्व बेदखली का कोई निर्णय या प्रतिवेदन अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि निर्णय से पूर्व बेदखली के पत्रावली संख्या तथा दिनांक का कालम खाली पड़ा हुआ है, इस प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमण की साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में सिविल कारावास की सजा का निर्णय



जिला कलेक्टर
टोंक



न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के पास उक्त मकान के अलावा कोई अन्य मकान नहीं है यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ता है या उसके मकान को नष्ट किया जाता है तो उसका जीवनयापन करना मुश्किल हो जावेगा तथा परिवार के लिए निवास स्थान व सुविधाएँ समाप्त हो जावेंगी। परन्तु फिर भी माननीय न्यायालय बेदखल करने व मकान को हटवाने का निर्णय देती है तो अपीलान्ट कब्जा छोड़ने तथा भविष्य में कब्जा या अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र देने को तैयार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 रा0 ले0 रे0 एक्ट निरस्त की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश निरस्त किया जावे तथा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज0 लेण्ड रेववेन्यु एक्ट निरस्त की जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1034/17 दिनांक 25-10-2017 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1034/17 दिनांक 25-10-2017 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। वैसे भी उक्त विवादित भूमि गै0मु0 तालाब है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है तथा धारा 16 में वर्णित भूमियां न तो नियमन की जा सकती है न ही आवण्टन की जा सकती है और न इन पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 11-12-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
लॉक